# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 973 राँची, गुरुवार, 11 अक्टूबर, 2018 (ई०)


**विधि (विधान) विभाग**

------------

अधिसूचना

11 अक्टूबर, 2018

**संख्या-एल०जी०-18/2018-149/लेज०**--झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक-**06/10/2018** को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

**कैपिटल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018**

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 13, 2018)

**प्रस्तावना**

झारखण्ड राज्य में कैपिटल विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेश के लिए और उससे सम्बद्ध एक निजी विश्वविद्यालय के आनुषंगिक मामलों की स्थिति प्रदान करने हेतु एक अधिनियम;

जबकि यह समयोचित है कि दिल्ली से सृजित एवं पंजीकृत चौ0 चरण सिंह एजुकेशनल सोसायटी साउथ एक्सटेंशन-I, नई दिल्ली -११००४९, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, १८६० (पंजीयन संख्या-एस/S-55338 दिनांक-07.04.2006) द्वारा प्रायोजित कैपिटल विश्वविद्यालय, कोडरमा, झारखण्ड की स्थापना तथा समावेशन और उसके अनुरूप निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु और उससे संबद्ध आनुषंगिक मामलों के संदर्भ में आवश्यक है।

एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य के उन्हतरवें वर्ष में झारखण्ड विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता हैः

**प्रारंभिक**

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-**

1) यह अधिनियम " **कैपिटल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018** " कहा जाएगा।

2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियत किया जाय।

**2. परिभाषा:-**

अगर इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित/आवश्यक होः

(a) 'अकादमिक परिषद्' का अर्थ है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् जैसा कि अधिनियम की धारा-24 में वर्णित है;

(b) 'वार्षिक प्रतिवेदन' का आशय है विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जैसा अधिनियम की धारा-39 में संदर्भित है;

(c) 'प्रबंधन' बोर्ड' का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा-23 के तहत गठित विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड;

(d) 'परिसर' का आशय है विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल जहाँ यह अवस्थित है;

(e) 'कुलाधिपति' से आशय है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो इस अधिनियम की धारा-12 के अधीन नियुक्त हों;

(f) 'मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी' का अर्थ है विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा-18 के अधीन नियुक्त हों;